न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पिठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

GCMS प्रकरण संख्या 2021/531

प्रकरण संख्या 56/21

अनवान

1. श्री खेमा पिता पेमा रावत निवासी सुरखण्ड तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)।

.....................प्रार्थी

बनाम

1. श्री भोलीराम पिता मोडा रावत निवासी सुरखण्ड तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्री उदा पिता डेला रावत निवासी देवली तहसील कानोड जिला उदयपुर।

.................अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : सुरेन्द्र कुमार चौबिसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. अधिनियम

–:: निर्णय ::– दिनांक : 18.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सुरखण्ड पटवार हल्का आकोला, तहसील कानोड, जिला उदयपुर (राज0) में आराजी नम्बर 439/7 रकबा 8 बीघा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम अंकित है। ताईद में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. यह कि कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में पेमुद है।

3. यह कि कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमि के चारों दिशाओं में विपक्षीगण की भूमि आ गयी है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आए दिन सीमा को लेकर विवाद करते है।

4. कि उक्त कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि की प्रार्थी विपक्षीगण कि उपस्थिति में तहसीलदार वल्लभनगर के जरिये पक्की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। इस हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगण से दिनांक 29.0[illegible] को कहा तो विपक्षीगण ने कानूनी कार्यवाही कराये जाने हेतु कहा जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना प[illegible] पर विवश होना पडा है।

5. अतः निवेदन हैं कि उक्त कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमि [illegible] प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में इलेक्ट्रोनिक भू मापक यंत्र से पक्की पत्थरगढी तहसीलदार वल्लभनगर मार्फत करायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:07 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कथन राजस्व रेकर्ड अनुसार सही होकर सत्य है। परन्तु उक्त आराजीयात पर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

विपक्षी संख्या 2 का पुश्तैनी कब्जा काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है, जिसका लगभग दादाजी के समय से लगाकर अब तक लगभग 80 वर्ष का कब्जा हैं।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की कमला संख्या 2 जिस तरह अंकित की है अस्वीकार है। प्रार्थी ठोस दस्तावेज सबुत से साबित करावें।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की कमला संख्या 3 जिस तरह अंकित की है अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 2 व प्रार्थी के मध्य कभी भी सीमाओं को लेकर विवाद नहीं हुआ है, विपक्षी निर्विघ्न रूप से कब्जे काश्त हो कृषि कार्य कर रहा है, एवं पक्के मकानात बने हुए है एवं ट्युबवेल खुदी हुई है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की कमला संख्या 4 जिस तरह अंकित की गयी सर्वथा मिथ्या एवं झूठ अंकित की गयी है प्रार्थी का एक इंच मात्र भी कब्जा नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 29.09.2020 को विपक्षी को कभी कुछ नहीं कहा और न ही पत्थरगढी करने को कहा है, प्रार्थी ने जानबूझकर गलत दिनांक अंकित की है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 जिस तरह अंकित की गयी है अस्वीकार है प्रार्थी को दिनांक 29.09.2020 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, और न ही निरन्तर जारी है। प्रार्थी ने झूठे तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने दिनांक 29.09.2020 को पैदा हुआ अंकित किया है क्या पैदा हुआ यह अंकित नहीं किया है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

11. अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 2 का जवाब रेकर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कब्जा होने से व मौके पर मुझ प्रार्थी का 80 वर्षो से कब्जा होने से पत्थरगढी नही की जा सकती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें एवं अन्य दाद जो माननीय आप न्यायालय उचित समझे मुझ विपक्षी संख्या 2 को धारा 209 के तहत दिलायी जावें।

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत किया। आदेश के अवलोकन से पाया की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन मौजा सुरखण्ड पटवार मण्डल आकोला की आराजी नम्बर 439/7 की श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 22.11.2021 को मौके व रिकार्ड के यथास्थिति बाबत् स्थगन आदेश दिया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त स्थगन आदेश के जवाब में श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर महोदय का निर्णय दिनांक 14.06.2022 के आदेश की प्रति प्रस्तुत कि जिसके अवलोकन से यह पाया की न्यायालय जिला कलक्टर महोदय द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवटन का खारिज किया जा चुका

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiv Puradia
Date: 2022.10.17 12:57:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। जिससे की वर्तमान में उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडौसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहाता अतः सीमा को लकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सुरखण्ड, पटवार हल्का आकोला, तहसील कानोड, जिला उदयपुर (राज0) में जमाबंदी संवत् 2070—2073, खाता संख्या नया 28, आराजी नम्बर 439/7 रकबा 8 बीघा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीदार कानोड को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू—प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नम्बरान के आधार पर पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त सीमाज्ञान सिर्फ भूमि की सीमाओं की जानकारी एवं सीमा पर सीमा चिन्ह से संबंधित है। उक्त पत्थरगढी प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार इस बात की सुनिश्चितता करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थगण अदा करेगें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 14:57:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner